Ex-Parte

राजस्थान सरकार

(कायदा – 129)

जनरल रूल्स सिविल रूल्स 129 अपेन्डिक्स फार्म नंबर 8 के

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बिजौलिया जिला – भीलवाड़ा (राज.)

2024/22

किस्म मुकदमा 1	नंबर मुकदमा 2	तारीख दायर 3	तारीख फैसला 4	पेशी दिनांक 5
177 धारा 177	18/24	24.1.24	23/9/24	2.2.24 3.5.24 14.5.24 15.5.24 5.6.24 26.6.24 10.7.24 7/8/24 20/8/24 19/9/24

अनवान

श्री राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार श्री [illegible] पुत्र नाथू बंजारा

निवासी [illegible] निवासी आंटी

अधिवक्ता वादी / प्रार्थी / अपीलान्ट अधिवक्ता प्रतिवादी / विपक्षी / रेस्पोडेंट

डिक्रीदार मदयून

श्री [illegible] सरकार श्री Ex-Parte

2024/22

राजस्थान सरकार

(कायदा – 129)

जनरल रूल्स सिविल रूल्स 129 अपेन्डेंक्स फार्म नंबर 8 के

यालय उपखण्ड अधिकारी, बिजौलिया जिला – भीलवाड़ा (राज.)

मुकदमा	नंबर मुकदमा	तारीख दायर	तारीख फैसला	पेशी दिनांक
1	2	3	4	5
1	18/24	24/1/2024		2/2/2024

अनवान

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार श्री कंकु पि० बाबु जाति बंजारा

सी बिजौलिया निवासी आटी, तह. बिजौलिया

अधिवक्ता वादी / प्रार्थी /अपीलान्ट अधिवक्ता प्रतिवादी / विपक्षी / रेस्पोडेंट

डिक्रीदार मदयून

श्री .... श्री ....

FORM NO. III

फर्द अहकम

नियम 26

अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम बिजौलियां

राजस्थान सरकार .... बनाम कंकु बंजारा ....

किस्म मुकदमा 177 नम्बर 18 सन 2024

…रीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
५/ 1 / 2024	वादपत्र पत्र सीगे से बाद जांच पेश हुआ। वकील वादी उपस्थित। वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जरिये सम्मन मय नकल वादपत्र पत्र भेज की जावें। पत्रावली दिनांक 2/2/2024 को वास्ते तलबी/जवाब पेश हों। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां	
2/2/23	पत्रावली पेश हुई। समस्त विपक्षीगण की बाद तामील प्राप्त हुई, जिन्हें शामिल पत्रावली किया गया। [illegible] सरकार उपस्थित। शाखा प्रबंधक बड़ौदा बैंक उपस्थित। जवाब के लिए समय चाहा। पत्रावली वास्ते जवाब/उचित आदेश आगामी दिनांक 9/2/24 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	(हस्ताक्षर) 02/02/2024 Khushwant Jain (शाखा प्रबंधक)
9/2/24	पत्रावली पेश हुइ। अभिभाषक वादी/प्रतिबादी उपस्थित श्रीमान P.O सा. दौरे पर हैं। प्रात्रावली दिनांक 23/2/24 को वास्ते जवाब पेश हो। (हस्ताक्षर) उप खण्ड अधिकारी	
23/2/24	पत्रावली पेश हुइ अभिभाषक वादी/प्रतिबादी उपस्थित श्रीमान P.O. सा. दौरे पर हैं। प्रात्रावली दिनांक 15/3/24 को वास्ते जवाब पेश हो। (हस्ताक्षर) उप खण्ड अधिकारी	

8/3/24 ... अभिभावक वादी / प्रतिवादी उपस्थित ... दौरे पर है। पत्रावली दिनांक 5/4/24 को वास्ते आदेश पेश हो।

उप खण्ड अधिकारी

5/4/24 पत्रावली पेश हुई। अभिभावक वादी / प्रतिवादी उपस्थित ... दौरे पर है। ... दिनांक 3/5/24 को वास्ते आदेश पेश हो।

उप खण्ड अधिकारी

3/5/24 पत्रावली पेश हुई। अभिभावक वादी / प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान P.O. सा. दौरे पर है। पत्रावली दिनांक 14/5/24 को वास्ते जवाब पेश हो।

उप खण्ड अधिकारी

14/5/24 पत्रावली पेश हुई। फरीकैन स्वयं उपस्थित। विपक्षी संख्या (8) ने जवाब के लिए समय चाहा, परन्तु आदिनांक तक जवाब पेश नहीं किया। पत्रावली में जवाब बंद किया जाता है। पत्रावली वास्ते निर्णय/बहस आगामी दिनांक 15/5/24 को पेश हो।

उप खण्ड अधिकारी
मांडलगढ़ जिला-भीलवाड़ा

15/5/24 पत्रावली पेश हुई। अभिभावक वादी / प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान P.O. सा. दौरे पर है। पत्रावली दिनांक 5/6/24 को वास्ते बहस/नि. पेश हो।

उप खण्ड अधिकारी

5/6/24 पत्रावली पेश हुई। अभिभावक वादी / ... उपस्थित श्रीमान P.O. सा. दौरे पर है। ... दिनांक 8/8/24 को वास्ते निर्णय/बहस पेश हो।

उप खण्ड अधिकारी

8/8/24 पत्रावली पेश हुई। पत्रावली में समस्त विपक्षीगण की तामील (...) प्राप्त हो चुकी है, जिन्हें शामिल पत्रावली किया जा चुका है। विपक्षी (1 से 7) बाद तामील अनुपस्थित। विपक्षी (1 से 7) के विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित किए गए। पत्रावली वास्ते निर्णय/बहस आगामी दिनांक 20/8/24 को पेश हो।

FORM NO. III

फर्द अहकम

(नियम 26)

अज न्यायालय **उपखण्ड अधिकारी** मुकाम बिजौलियाँ, जिला–भीलवाड़ा

.......राजस्थान सरकार.......बनाम ....

किस्म मुकदमा धारा.............................. प्रकरण संख्या ....

GCMS नम्बरः–....................

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय् इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
२०/८/२४	पत्रावली पेश हुई पत्रावली वास्ते Arg. आगामी दिनांक 19/9/24 को पेश हो।	
19/9/24	पत्रावली पेश हुई। अभिभावक वादी / प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर हैं। प्रत्रावली दिनांक 23/9/24 को वास्ते निर्णय पेश हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी	
23/9/24	पत्रावली पेश हुई पैरोकार सरकार उपस्थित। पत्रावली में निर्णय पृथक से लिखवाया गया एवं खुले न्यायालय में सुनाए गए। तहसीलदार बिजौलिया को पालनार्थ तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर, नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। [signature] उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा	

ायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)

बईजलास श्री अजीत सिंह राठौड़ (RAS) उपखण्ड अधिकारी

ादपत्र संख्या 18/2024 दायर तारीख 24.01.2024

अनवान्

ाजस्थान सरकार भूमिधारी जरिये तहसीलदार बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा (राज0)।

.........वादी

बनाम्

1. कंकू पुत्री नाथू जाति बंजारा निवासी आटी तहसील बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा।
2. जमनी पुत्री नाथू जाति बंजारा निवासी आटी तहसील बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा।
3. बदामी पुत्री नाथू जाति बंजारा निवासी आटी तहसील बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा।
4. मदन पुत्र नाथू जाति बंजारा निवासी आटी तहसील बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा।
5. मुरली पुत्र नाथू जाति बंजारा निवासी आटी तहसील बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा।
6. शान्ति पुत्री सोजी जाति बंजारा निवासी आटी तहसील बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा।
7. हरिसिंह पुत्र सोजी जाति बंजारा निवासी आटी तहसील बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा।
8. शाखा प्रबन्धक बड़ौदा राजस्थान क्षैत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा कांस्या।

........प्रतिवादीगण

उपस्थित :– 01. पैरोकार तहसीलदार।
02. एकपक्षीय

कार्यवाही अर्न्तगत धारा 177 राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955

–: निर्णय :–

दिनांक :– 23/09/2024

संक्षेप मे वादपत्र के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी ने वादपत्र अर्न्तगत **धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम** 1955 विरूद्ध प्रतिवादीगण इस न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम आटी पटवार मण्डल गुढा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा की आराजी नं0 111 रकबा 0.6637 हैक्टेयर किस्म 0.5099 है0 चाही तृतीय व 0.1538 है0 जाव तृतीय भूमि प्रतिवादीगण के नाम राजस्व रेकॉर्ड में खातेदारी हक से दर्ज रेकॉर्ड हैं। उक्त वर्णित आराजी नं0 111 रकबा 0.6637 हैक्टेयर भूमि में खातेदारों की मौके पर काश्त नही हैं। उक्त वर्णित आराजीयात पर प्रतिवादीगण को मात्र कृषि कार्य हेतु खातेदारी अधिकार प्रदत्त था। प्रतिवादीगण द्वारा भूमि पर कृषि कार्य नही किया गया। प्रतिवादीगण ने खातेदारी अधिकार की शर्तों की पालना नही कर आराजी नं0 111 एकबा 0.6637 हैक्टेयर भूमि पर खातेदारों द्वारा मौके पर अवैध खनन किया हुआ होकर पानी भरा हुआ है।

अतः प्रतिवादीगण की ग्राम खड़ीपुर की आराजी नं0 111 रकबा 0.6637 हैक्टेयर भूमि को बिलानाम सरकार दर्ज कराना फरमावें।

लगातार पेज संख्या 02 पर

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

वादपत्र दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को नोटिस जारी किये गये। विपक्षीगण संख्या 1, 2, 3, 5, 6, 7 के नोटिस बाद तामील प्राप्त हुए। विपक्षीगण संख्या 7 ने जवाब के लिए समय चाहा।

उक्त प्रकरण में विपक्षीगण की ओर से कोई जवाब प्रस्तुत नहीं हुआ।

प्रकरण में विपक्षीगण के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गयें।

वादी ने दस्तावेजी साक्ष्य में नये खाता संख्या 162 ग्राम आटी पटवार मण्डल गुढ़ा की जमाबन्दी सम्वत् 2074 से 2077 की प्रति प्रस्तुत की हैं। आराजी नं0 111 रकबा 0.6637 हैक्टेयर भूमि पर मौके पर अवैध खनन किया हुआ होकर पानी भरा हुआ है। नक्शा ट्रेस आराजी संख्या 111 की प्रति संलग्न हैं। गूगल मेप व जीपीएस मेप की प्रति संलग्न हैं।

प्रकरण में वादी ने अन्य किसी प्रकार की शहादत वादी प्रस्तुत नहीं करने से साक्ष्यवादी बन्द की गयी।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं पैराकार सरकार की एक पक्षीय बहस पर मनन किया।

—: आदेश :—

प्रस्तुत वादपत्र अन्तर्गत धारा 177 **राजस्थान काश्तकारी अधिनियम** स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते हैं कि ग्राम आटी पटवार मण्डल गुढा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा की सरहद में स्थित आराजी नं0 111 रकबा 0.6637 हैक्टेयर किस्म 0.5099 है0 चाही तृतीय व 0.1538 है0 जाव तृतीय भूमि को बिलानाम सरकार दर्ज किया जावें। पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियां को लिखा जावें।

आदेश आज दिनांक 23 / 09 /2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अजीत सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ

मूल वाद में डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा (राज0)

बईजलास श्री अजीत सिंह राठौड़ (RAS) उपखण्ड अधिकारी

वादपत्र संख्या 18/2024 **दायर तारीख 24.01.2024**

अनवान्

राजस्थान सरकार भूमिधारी जरिये तहसीलदार बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा (राज0)।

........डिक्रीदार

बनाम्

1. कंकू पुत्री नाथू जाति बंजारा निवासी आटी तहसील बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा।
2. जमनी पुत्री नाथू जाति बंजारा निवासी आटी तहसील बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा।
3. बदामी पुत्री नाथू जाति बंजारा निवासी आटी तहसील बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा।
4. मदन पुत्र नाथू जाति बंजारा निवासी आटी तहसील बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा।
5. मुरली पुत्र नाथू जाति बंजारा निवासी आटी तहसील बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा।
6. शान्ति पुत्री सोजी जाति बंजारा निवासी आटी तहसील बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा।
7. हरिसिंह पुत्र सोजी जाति बंजारा निवासी आटी तहसील बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा।
8. शाखा प्रबन्धक बड़ौदा राजस्थान क्षैत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा कांस्या।

..........मदयूनान

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय दिनांक : 23/09/**2024**

डिक्री दिनांक : 23/09/**2024**

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसल कतई रूबरू न्यायालय बहाजरी मिनजानिब मुदई पैरोकार तहसीलदार एक पक्षीय मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुकम दिया है डिग्री जारी की जाती है कि :–

वादपत्र अन्तर्गत धारा 177 **राजस्थान काश्तकारी अधिनियम** अंतिम रुप से डिक्री किया जाकर ग्राम आटी पटवार मण्डल गुढा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा की सरहद में स्थित आराजी नं0 111 रकबा 0.6637 हैक्टेयर किस्म 0.5099 है0 चाही तृतीय व 0.1538 है0 जाव तृतीय भूमि को बिलानाम सरकार दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। खर्चा पक्षकारान स्वयं अपना–अपना वहन करे। डिक्री मूर्तिब हों।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 23/09/2024 को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी ... जिला भीलवाड़ा

(अजीत सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ

लगातार पेज संख्या 02 पर

नीज ....Nil............................मुबलिग .... Nil ....बाबत् .... Nil ......
ृस मुकदमें के मय सूद व शहर .... Nil ....फीस दी सालाना आज की तारीख से
वसूलयाबी तक .... Nil ....का अदा करे।

	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
प अरजीदया			स्टाम्प अरजीदया		
प वकीलात नामा			स्टाम्प वकीलात नामा		
प वजह सबूत			स्टाम्प वजह सबूत		
ताना वकील ( )			महनताना वकील ( )		
र्ग गवाह			खर्चा गवाह		
न कमीश्नर			फीस कमीश्नर		
त् इजराय हुक्मनामा			बाबत् इजराय हुक्मनामा		
फरिक			मुन्फरिक		
मीजान			मीजान		

(अजीत सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला–भीलवाड़ा